गोकुल डेयरी विवाद: सहकारी स्वायत्तता और सरकारी निगरानी का संतुलन

समाचार-संदर्भ: 2026-11-05 | **प्रकाशन:** 7 नवंबर 2026

मुख्य परीक्षा: GS-II/III: सहकारिता, लोकतांत्रिक शासन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

12 नवंबर 2026 का अपडेट: NCP के राजेश पाटिल गोकुल डेयरी के अध्यक्ष चुने गए

10 नवंबर 2026 को हुए चुनाव में **NCP (महायुति) के राजेश पाटिल** कांग्रेस MLC के नेतृत्व वाले पैनल के **शशिकांत चुयेकर** को **3 वोटों** से हराकर गोकुल दुग्ध संघ के अध्यक्ष चुने गए; कार्यकाल **एक वर्ष** का है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार **4 सरकारी निदेशकों** के वोट निर्णायक रहे - ठीक वही मुद्दा जिस पर पहले से विवाद था।

प्रतिक्रियाएं: कांग्रेस ने नतीजे को 'वोट और चुनाव चोरी का दूसरा रूप' कहा; चुयेकर ने अदालत से न्याय की उम्मीद जताई; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर चुनाव को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया; संजय राउत ने इसे 'कोल्हापुर के साथ विश्वासघात' बताया।

खबरों में क्यों

5 नवंबर 2026 की घटनाओं और 6 नवंबर की रिपोर्ट ने महाराष्ट्र की गोकुल दुग्ध सहकारी संस्था में निर्वाचित बोर्ड तथा सरकारी नामांकन के विवाद को सामने रखा। रिपोर्टों के अनुसार एक पैनल ने 25 में से 13 सीटें और दूसरे ने 12 सीटें जीतीं। बड़ी सरकारी सहायता प्राप्त सहकारी संस्थाओं में पाँच नामित निदेशक, जिनमें चार को मतदान का अधिकार हो, नियुक्त करने के लिए मंत्रिमंडल ने संशोधन की मंजूरी दी।

यहाँ खबर का महत्त्व किसी दल की जीत-हार से आगे है: चुनाव के बाद बोर्ड की संरचना बदलने से सदस्य-नियंत्रण, जनादेश और सरकारी जवाबदेही के बीच क्या संतुलन रह जाता है?

बहुमत और कोरम अलग हैं

बहुमत किसी प्रस्ताव या चुनाव में आवश्यक समर्थन से जुड़ा है। **कोरम** बैठक वैध रूप से चलाने के लिए जरूरी न्यूनतम उपस्थिति है। रिपोर्ट के अनुसार गोकुल में 14 निदेशकों की उपस्थिति का कोरम होने से 13 निर्वाचित सदस्यों वाला पैनल अपने दम पर बैठक पूरी नहीं कर सका।

अतिरिक्त मताधिकार वाले नामित सदस्य बोर्ड में शक्ति-संतुलन बदल सकते हैं। लेकिन संभावित अंकगणित को अंतिम अध्यक्ष-चुनाव परिणाम नहीं कहना चाहिए। नवंबर 10 की प्रस्तावित प्रक्रिया को बीता हुआ परिणाम भी नहीं माना जा सकता।

किसका क्या तर्क है

विपक्ष ने इसे निर्वाचित जनादेश में हस्तक्षेप और चुनाव के बाद नियम बदलने का मामला बताया। सरकार ने बड़ी सार्वजनिक सहायता, प्रशासनिक गतिरोध और निगरानी की जरूरत का तर्क दिया। ये परस्पर विरोधी राजनीतिक और प्रशासनिक दावे हैं; आरोपों को न्यायालय द्वारा सिद्ध तथ्य की तरह प्रस्तुत करना गलत होगा।

मंत्रिमंडल की मंजूरी, अध्यादेश का विधिवत जारी होना, संस्थागत नियुक्ति और अंतिम मतदान अलग चरण हैं। उपलब्ध रिपोर्ट के आधार पर हर चरण पूरा मान लेना उचित नहीं।

सहकारी संस्था की विशेषता

सहकारी संस्था का उद्देश्य सदस्यों की साझा आर्थिक जरूरत पूरी करना है। दुग्ध सहकारिता में संग्रह, गुणवत्ता-जाँच, शीत-शृंखला, भुगतान, प्रसंस्करण और विपणन की व्यवस्था उत्पादक की आय को प्रभावित करती है। इसलिए बोर्ड-शासन का असर केवल राजनीतिक पद पर नहीं, दैनिक आर्थिक गतिविधि पर भी पड़ता है।

सरकारी सहायता से सार्वजनिक धन की जवाबदेही जरूरी होती है। साथ ही वह निगरानी ऐसी न हो कि उत्पादक-सदस्यों का वास्तविक नियंत्रण समाप्त हो जाए।

संतुलित समाधान

- नामांकन और मतदान-अधिकार के नियम पहले से स्पष्ट, सामान्य और गैर-मनमाने हों।
- सदस्य, निर्वाचित बोर्ड और सार्वजनिक सहायता के अधिकार-दायित्व अलग स्पष्ट किए जाएँ।
- कोरम-संकट के लिए पारदर्शी प्रक्रिया हो, किसी एक परिणाम के लिए चयनात्मक बदलाव नहीं।
- ऑडिट, हित-संघर्ष की घोषणा और समय पर वित्तीय जानकारी मजबूत हों।
- विवाद के दौरान दूध-संग्रह और उत्पादकों के भुगतान की नियमितता बनी रहे।
- कानूनी विवाद का समाधान उचित मंच और तथ्यात्मक रिकॉर्ड के आधार पर हो।

परीक्षा के लिए महत्त्व

यह सहकारी लोकतंत्र, सार्वजनिक धन की निगरानी, संस्थागत नियम और राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच तनाव का उदाहरण है। अच्छा उत्तर पूर्ण सरकारी नियंत्रण और पूर्ण निगरानी-विहीनता, दोनों अतियों से बचकर सदस्य-आधारित जवाबदेह शासन की बात करेगा।

> सहकारिता के संस्थागत सुधार पर संबंधित अध्ययन: **सहकारिता नीति और समितियाँ**

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

सरकारी सहायता प्राप्त सहकारी संस्थाओं में सार्वजनिक जवाबदेही और सदस्य-नियंत्रण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? गोकुल विवाद के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द,15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: सहकारी संस्था की सदस्य-केंद्रित प्रकृति बताएं।

मुख्य भाग में: कोरम-बहुमत, नामांकन, निगरानी और जनादेश के तनाव का विश्लेषण करें; राजनीतिक दावे को सिद्ध तथ्य न बनाएं।

निष्कर्ष में: पूर्वनिर्धारित नियम, ऑडिट, हित-संघर्ष नियंत्रण और उत्पादक हित पर समाधान दें।

स्रोत

- 6 नवंबर:5 नवंबर के गोकुल विवाद और सरकारी पक्ष की रिपोर्ट
- 5 नवंबर:मंत्रिमंडल निर्णय और प्रस्तावित नामांकन व्यवस्था
- The Hindu: NCP's Rajesh Patil secures Gokul Dairy chairperson post, 11 नवंबर 2026
- Times of India: 4 सरकारी निदेशकों से महायुति की जीत; कांग्रेस के आरोप, 11 नवंबर 2026
- Indian Express: NCP's Rajesh Patil elected Gokul chairman, Opposition cries foul, 11 नवंबर 2026